न्यायालय– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया
बेतिया मु0– 119/2020

दिनांक–09/09/2020

बेतिया मु0 थाना कांड संख्या – 119/2020 के अन्तर्गत दिनांक 03/03/2020 से काराबंदी अभियुक्त शत्रुधन कुमार की ओर से उनका जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं । उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया हैं। उसके द्वारा कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया हैं। वह न्यायालय के संतुष्टि के आधार पर किसी भी राशि का बंधपत्र देने को तैयार हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाय । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदा0 को प्रदान की गयी ।

विद्वान जिला अभियोजन पदा0 श्री सतीश कुमार की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद के प्रितम कुमार सिंह क लिखित आवेदन की दिनांक 02/03/2020 को समय करीब 07:30 बजे संन्ध्या में आई0 आई0 टी कालेज परिसर में अपने मोबाइल से बात कर रहा था कि अचानक मोटर साईकिल पर सवार तीन व्यक्ति पास आ धमके और मोबाईल को छपटा मार कर भागने लगे । सूचक के द्वारा हल्ला करने पर मोटर साईकिल पर सवार व्यक्ति को पकडा गया परन्तु अंधेरा का लाभ उठाकर दो व्यकित भागने में सफल रहा एक व्यकित पकडा गया । पकडाये गये व्यक्ति द्वारा अपना नाम शत्रुधन कुमार बताया गया तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम मुन्ना चौधरी एवं भकोल बताया । मोटर साईकिल छोडकर भागे हुए व्यक्ति का मोटर साईकिल बिना नम्बर का था ।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। इस वाद में भा0 द0 वि0 की धारा 356, 379/34 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। जिसमें धारा 379/34 भा0 द0 वि0 अजमानतीय है । आवेदक अभियुक्त पर सूचक द्वारा मोबाईल चोरी एवं अभियुक्त के पास से बिना कागजात का मोटर साईकिल बरामद होने का आरोप है । आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त कों जमानत की सुविधा का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 27/08/2020 खारिज किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी